

सैनिक स्कूल रीवा (म.प्र.)



दर अनुबंध के लिए निविदा

TENDER FOR RATE CONTRACT

निविदा प्रपत्र

श्रेणी - दुकान के संचालन (Category 4)

उप-श्रेणी - जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन

संचालन अवधि : 01 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 21 जनवरी 2024

समय- दोपहर 12.00 बजे तक

तकनीकी निविदा खुलने की तिथि - 21 जनवरी 2024

समय - दोपहर 12.30 बजे या बाद में

वित्तीय निविदा खुलने की तिथि - 23 जनवरी 2024

समय - दोपहर 12.30 बजे या बाद में

धरोहर राशि (ई.एम.डी): रुपये 5,000/- (Refundable)



सैनिक स्कूल, रीवा (मध्य प्रदेश)

(रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित)

Tele No / Fax – 07662-292135, 254803

Email – ssrewa@sainikschoolsociety.in

जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन हेतु नियम एवं शर्त

1. सैनिक स्कूल रीवा को प्रतिष्ठित, स्थापित एजेंसी की आवश्यकता है जो कि सैनिक स्कूल रीवा को छात्रों एवं कर्मचारियों हेतु जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन कर सकें।

सामान्य शर्त

2. आपूर्तिकर्ता का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। दो बोली प्रणाली को अपनाया जाएगा। निविदा प्रपत्र दो में भाग विभाजित है। प्रथम भाग तकनीकी निविदा एवं दूसरा भाग वित्तीय निविदा, दोनों निविदाएं अलग-अलग लिफाफे में सीलबंद कर उसके ऊपर "जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन सैनिक स्कूल रीवा के लिए" तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा लिखकर जमा करें। केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय निविदाएं खोली जाएगी। जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन के लिए वित्तीय निविदा में उल्लेखित सबसे कम दर (rate) एवं अधिक किराया की दर वाले निविदाकार को L1 माना जाएगा। यदि निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दर बराबर होने की स्थिति में, अधिकतम किराए की पेशकश करने वाले निविदाकार को L1 माना जाएगा।

3. इच्छुक आपूर्तिकर्ता एजेंसी धरोहर राशि (ई.एम.डी) डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) के रूप में रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रिंसिपल, सैनिक स्कूल रीवा के नाम से जमा करेंगे (ई.एम.डी राशि नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा)। डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा। साथ में पैरा - 4 में उल्लेखित दस्तावेजों को भी देना होगा। डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) के अलावा, अन्य किसी प्रकार का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र, निविदा दर के साथ, एक अलग लिफाफे में सीलबंद कर जमा करना होगा। दोनों सील बंद लिफाफा दिनांक 21 जनवरी 2024 को दोपहर 1200 बजे तक सैनिक स्कूल कार्यालय में जमा करना होगा। केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय निविदाएं दिनांक 23 जनवरी 2024 को दोपहर 1230 बजे या बाद में खोली जाएगी।

4. आपूर्तिकर्ता एजेंसी को तकनीकी निविदा प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करना आवश्यक है, जो कि स्वयं द्वारा सत्यापित (Self Attested) किया गया हो:-

(क) निविदाकार का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाणपत्र एवं आधार कार्ड की प्रतिलिपि।

(ख) एजेंसी के पूर्ण पता की प्रतिलिपि।

(ग) जीएसटी नंबर की प्रतिलिपि।

- (घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि।
- (ङ) एजेंसी के स्थापना संबंधी स्थानीय निकाय से पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
- (च) खाद्य विभाग का प्रमाणपत्र।
- (छ) नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में (तकनीकी निविदाके अनुसार)।
- (झ) बैंक खाते की जानकारी प्रारूप के अनुसार भरकर जमा करें, साथ में एक कैंसिल चेक भी लगाये (तकनीकी निविदाके अनुसार)।

5. दरें समस्त करों सहित होनी चाहिए।

6. हितों का टकराव (Conflict of Interest)- इस खंड के तहत सैनिक स्कूल रीवा के वर्तमान / पूर्व छात्रों या कर्मचारियों और उनके करीबी रिश्तेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। भविष्य में यदि चयनित बोलीदाता के संबंध में ऐसी (हितों का टकराव के) जानकारी सामने आती है तो अनुबंध रद्दकर दिया जाएगा। यदि संभव हैं तो अनुबंध के लिए अगले बोलीदाताओं के साथ बातचीत किया जाएगा। अन्यथा नए सिरे से निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

विशेष शर्त

1. जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन करने का अनुबंध 01 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक रहेगा। चयनित एजेंसी द्वारा छात्रों एवं कर्मचारियों हेतु जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन में लापरवाही, बिक्री करने हेतु खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, अस्वच्छ रूप से बनाये जाने वाले खाद्य वस्तुओं या सैनिक स्कूल रीवा की आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण, सैनिक स्कूल रीवा अनुबंध की अवधि 30 अप्रैल 2025 से पहले समाप्त कर सकती है। सैनिक स्कूल रीवा, चयनित एजेंसी को एक महीने का नोटिस देने के बाद किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. चयनित एजेंसी को "राष्ट्रीयकृत बैंक / आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक" द्वारा जारी किया रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) का परफॉर्मंस बैंक गारंटी सैनिक स्कूल रीवा में जमा करना होगा। निविदा अनुबंध सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के बाद निविदाकार को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) सैनिक स्कूल रीवा को प्रदान करना होगा जिसमें यह वर्णन हो कि सैनिक स्कूल रीवा द्वारा जारी किए गए आपूर्ति आदेशों के अनुसार सभी वस्तुओं की आपूर्ति की है और अनुबंध दर के अनुसार देय राशि प्राप्त की है। संबंधित अनुबंध के संदर्भ में सैनिक स्कूल रीवा से कोई भी आपूर्ति आदेशों की देय राशि बकाया नहीं है। उसके बाद ही परफॉर्मंस बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी। अनुबंध की अवधि की दौरान यदि चयनित एजेंसी द्वारा जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन में लापरवाही, बिक्री करने हेतु खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, अस्वच्छ रूप से बनाये जाने वाले खाद्य वस्तुओं की बिक्री की स्थिति में सैनिक स्कूल रीवा परफॉर्मंस बैंक गारंटी का इस्तेमाल करके विद्यालय को हुई नुकसान को पूरा करेगा। सम्बन्धित एजेंसी को भविष्य के लिए कालीसूची में दर्ज किया जाएगा तथा माननीय उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।

3. सभी निविदाकारों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। यदि किसी निविदाकार के विरुद्ध यह सबूत पाया जाता है कि पहले लिए गए निविदा में उनका कार्य संतोषजनक नहीं था, सैनिक स्कूल रीवा उनकी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। बेनामी निविदा के लिए भी यही समान नियम लागू किया जाएगा तथा बेनामी निविदा के पीछे की मूल इच्छुक पार्टियों की पहचान की जाएगी एवं मूल इच्छुक

पार्टी को बेनामी निविदा का जिम्मेदार मानते हुए उस बेनामी निविदा से जोड़ा जाएगा और मूल इच्छुक पार्टी की निविदा को भी अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. सैनिक स्कूल रीवा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय स्थानीय बाजार सर्वेक्षण करने का अधिकार रखता है। बाजार सर्वेक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अन्य निविदाकार उपलब्ध हैं, जो की एक ही अनुबंध की शर्त के तहत कम दरों पर जलपान गृह की स्थापना एवं के संचालन करने के लिए तैयार हैं, तो मौजूदा चयन किए गए निविदाकार को इसके बारे में सूचित किया जाएगा और दुबारा दरों के संबंधी बातचीत की जाएगी और दोनों में से सबसे कम दर लगाने वाले को शेष अवधि के लिए निविदाकार के रूप में चुना जाएगा। उसके और सैनिक स्कूल रीवा के बीच एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में वंचित निविदाकार को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

5. भारत का राजपत्र सं. 355 दिनांक 04 सितंबर 2020, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) अधिसूचना - खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 स्कूली बच्चों में खाद्य का विपणन और विज्ञापन तथा बिक्री विनियम, 2020:-

(क) स्कूल परिसर अथवा अहाता (स्कूल कैंटीन, मेस, छात्रावास के रसोईया स्कूल के 50 मीटर के दायरे में) कोई व्यक्ति उच्च सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांसफैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम वाले खाद्य उत्पाद नहीं बेचेगा अथवा बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा, जिसमें मुफ्त बिक्री सम्मिलित है, अथवा उनकी बिक्री की अनुमति नहीं देगा।

(ख) स्कूल परिसर अथवा अहाता में स्कूली बच्चों में खाद्य विपणन के समय खाद्य कारोबारी प्रचालक:-

(i) केवल उन खाद्यों, आहारों के साथ प्रीमियम अथवा प्रोत्साहनों, जैसे खिलौने, ट्रेडिंग कार्ड, परिधान, क्लब सदस्यता, प्रतियोगिताएँ, न्यून-मूल्यित खाद्य, अथवा कूपनों की पेशकश करेगा जिनमें सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस-फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम अधिक मात्रा में न हो।

(ii) केवल उस खाद्य के लिए बच्चों के खेलों, स्कूली व अन्य समारोहों में प्रायोजन का उपयोग करेगा जिनमें सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस-फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम अधिक मात्रा में न हो।

(ग) खाद्य कारोबारी प्रचालक स्कूलों में संतुलित आहार को बढ़ावा देंगे और स्कूल अहाता में कहीं भी ऐसे खाद्य का विपणन, बिक्री नहीं करेंगे अथवा उसका वितरण नहीं करेंगे जिनमें सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस-फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम उच्चमात्रा में हो, जिसमें निम्नलिखित माध्यम सम्मिलित हैं-

(i) बिक्री मशीनों पर / में लोगो, ब्रांडनाम, स्पोक - करैक्टर, उत्पाद नाम, अथवा उत्पाद विपणन, पुस्तकें, पाठ्यक्रम अथवा अन्य शैक्षणिक सामग्रियों, स्कूल को आपूर्तित सामग्रियाँ, पोस्टर, पाठ्यपुस्तकों के कवर और स्कूल सम्पदा जैसे स्कोरबोर्ड, साइन, खेल के मैदान, बसें और इमारतें।

- (ii) खाद्य सामग्री के पुरस्कार वाले शैक्षणिक प्रोत्साहन कार्यक्रम।
- (iii) उच्च सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस-फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम वाले खाद्य की सीधी बिक्री।
- (iv) मुफ्त नमूने अथवा कूपन।
- (v) स्कूल के लिए वित्त जुटाने की गतिविधियाँ।

6. जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन के लिए विद्यालय द्वारा दुकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें बिजली एवं पानी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दुकान का मासिक किराया लिया जाएगा। बिजली एवं पानी का बिल, मासिक किराये के अतिरिक्त भुगतान करना होगा। विद्यालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान निविदाकार से मासिक किराया नहीं लिया जाएगा। पानी का बिल 175/- रु. प्रति माह लिया जाएगा और बिजली का बिल मिटर खपत अनुसार प्रति माह लिया जाएगा।

7. पके हुए खाद्य पदार्थों के मानक, गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को समझने के लिए, इच्छुक निविदाकार से अनुरोध किया जाता है कि वे मौजूदा स्कूल कैंटीन आये और नमूने देखें।

8. वस्तु के लिए सबसे कम दर (rate) एवं अधिकतम किराए की पेशकश करने वाले निविदाकार को L1 माना जाएगा।

9. जलपान गृह के इलाके का रखरखाव एवं आस-पास की साफ सफाई निविदाकार की जिम्मेदारी होगी।

10. निविदाकार द्वारा निविदा की दरें 30 अप्रैल 2025 तक बनाई रखनी होगी। किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि पर दरों में वृद्धि हेतु किया गया निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. किसी भी स्तर पर फर्जी दस्तावेज़ पाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने के साथ-साथ निविदाकार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

12. निविदा आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ पढ़ने योग्य और स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए। यदि प्रस्तुत जानकारी के लिए स्थान अपर्याप्त है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है। निविदा आवेदन में कोई ओवरराइटिंग या कटिंग की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

13. तकनीकी निविदा दिनांक 21 जनवरी 2024 को सैनिक स्कूल रीवा में दोपहर 1230 बजे या बाद में खोली जाएगी। केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय निविदाएं दिनांक 23 जनवरी 2024 को सैनिक स्कूल रीवा में दोपहर 1230 बजे या बाद में खोली जाएगी। निविदा भरने वाले या उनके प्रतिनिधियों के उपस्थित ना होने की स्थिति में भी निविदा प्रपत्र खोली जाएगी। मौजूद न रहने वाले निविदाकार या उनके प्रतिनिधियों की आपत्तियों को निविदा खुलने के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. सैनिक स्कूल रीवा द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन नहीं किये जाने या किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

15. निविदाकार को दुकान का मासिक किराया वित्तीयनिविदा में लिखना होगा। दुकान का मासिक किराए का कम से कम रुपये 3500/- है । 3500/- रुपये से कम की पेशकश करने वाली किसी भी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है। निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दर बराबर होने की स्थिति में, अधिकतम किराए की पेशकश करने वाले निविदाकार का चयन किया जाएगा।

16. निविदाओं को स्वीकृत / निरस्त करने के सम्बन्ध में समस्त अधिकार प्राचार्य सैनिक स्कूल रीवा के पक्ष में सुरक्षित रहेंगे।

दिनांक: Dec 2023

Sd/-x-x-x-
प्रशासनिक अधिकारी
कृते प्राचार्य
सैनिक स्कूल रीवा

तकनीकी निविदा

जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन

1. निविदाकार का नाम :
 2. पिता का नाम :
 3. एजेंसी का नाम :
 4. निविदाकार का निवास का पूर्ण पता :
(निविदाकार का निवास प्रमाणपत्र एवं आधार
कार्डकी प्रतिलिपि संलग्न)
 5. एजेंसी का पूर्ण पता :
(फर्म के पूर्ण पता की प्रतिलिपि संलग्न)
 6. जीएसटी नंबर (प्रतिलिपि संलग्न) :
 7. पैन कार्ड नंबर (प्रतिलिपि संलग्न) :
 8. एजेंसी के स्थापना संबंधी स्थानीय :
निकाय से पंजीयन क्रमांक /प्रमाण
पत्र (प्रतिलिपि संलग्न)
 9. खाद्य विभाग का प्रमाणपत्र :
(प्रतिलिपि संलग्न)
 10. एजेंसी का दूरभाष :
 11. निविदाकार का व्यक्तिगत मोबाइल :
नंबर
 12. ई-मेल पता :
- धरोहर राशि (ई.एम.डी) का विवरण
- राशि रुपये :
- दिनांक :
- डिमांड ड्राफ्ट नं. :
- जारी कर्ता बैंक का नाम :

RECENT
PASSPORT
SIZE
PHOTO

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

तकनीकी निविदा

रु. 20 /- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित किया हुआ
(देखिए नियम एवं शर्त पैरा क्रमांक 4(छ))

मैं आत्मज उम निवासी
.....निम्नानुसार शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि मेरी एजेंसी / कंपनी जिसका नाम
है, तथा में स्थिति है।
2. यह कि मैं / मेरी एजेंसी / कंपनी किसी भी विभाग में आज दिनांक तक काली सूचीबद्ध नहीं
है।
3. यह कि मेरी एजेंसी / कंपनी का जीएसटी नंबर हैं।
4. यह कि मेरा पैन नंबर / फर्म / कंपनी का हैं।
5. मेरे द्वारा समस्त टैक्स का भुगतान समय पर किया जाता है।
6. यह कि मेरा कोई रिश्तेदार / सगा संबंधी सैनिक स्कूल रीवा में कार्यरत नहीं है।
7. यह कि मैं, दी गई समस्त नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ।

उपरोक्तानुसार जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य व सही है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

यह कि मैं शपथकर्ता, उपरोक्तानुसार शपथपत्र आज दिनांक को बिना किसी दबाव एवं पूर्ण
होश हवास में हस्ताक्षर कर सत्यापित कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

तकनीकी निविदा

प्रारूप

(देखिए नियम एवं शर्त पैरा क्रमांक 4(झ))

बैंक खाते का विवरण

फर्म का नाम / निविदाकार का नाम	
खाता क्रमांक	
खाते का प्रकार चालू खाता / बचत खाता	
बैंक का नाम	
बैंक शाखा का पता	
आईएफएससी कोड	
एम आई सी आर कोड	

निविदाकार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं सील

दिनांक

बैंक सील व हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा

जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन

में, सैनिक स्कूल रीवा को नीचे दी गई दर के आधार पर दिनांक 01 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक निम्नलिखित खाद्य सामग्रियों छात्रों एवं कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए तैयार हूं:-

क्रमांक	वस्तुओं का नाम	मात्रा	दर
1	Samosa (Big Size)	1 No. 150 gms	
2	AalooBonda (Big Size)	1 No. 150 fms	
3	Bhajia	50 Gms	
4	Omelette	2 Egg	
5	Namkeen (Pouch)	1 No.	
6	Tea (Special)	1 No.	
7	Chocolete	1 No.	
8	Namkeen	100 Gms	
9	Cream roll, Big Size	1 No.	
10	Idli with Sambhar & coconut Chutney	2 No.	
11	LadduBoondi / Magaj	1 No. 50 gms	
12	Nan Khatai	1 No.	
13	DahiBada (Big Size)	1 No.	
14	Boiled Egg	1 No.	
15	SonePapadi	1 No.	
16	Two Samosa Chat	1 Plate	
17	Rasgulla	1 No.	
18	Jalebi	100 Gms	
19	Poha	1 Plate	

नोट : दरें समस्त करों सहित सैनिक स्कूल रीवा में देय होनी चाहिए।

निविदाकार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं सील

वित्तीय निविदा

			दर
20	Pastry	1 No.	
21	Bread Pakoda	1 No.	
22	Boil Milk with Sugar	200 ml	
23	GulabJamun	1 No	
24	Pizza	1 Piece	
25	Cold Drink with cooling	1 Piece	
26	Ice Cream	1 Piece	
27	Packed Item eatables	1 Piece	
28	Packed Items Grocery	1 Piece	
29	Bisleri/ Aquafina Water	1 Piece	
30	Fruit Juice, Nimbu Pani	1 Piece	

नोट : दरें समस्त करों सहित सैनिक स्कूल रीवा में देय होनी चाहिए।

निविदाकार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं सील

छात्रों एवं कर्मचारियों हेतु जलपान गृह की स्थापना एवं संचालन

में, सैनिक स्कूल रीवा को दिनांक 01 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक प्रतिमाह किराया भुगतान करने को तैयार हूं:-

विवरण	इकाई	राशि
दुकान का किराया	01	रु० _____

निविदाकार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं सील